न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 348/2022
आरसीएमएस नं. 2022/00348

शेराराम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल साकिन सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
—अपीलांट

बनाम

1. अमनदीप पुत्र शेराराम जाति मेघवाल साकिन सोनड़ी तहसील नोहर नाबालिग जरिये वली माता रितूबाला पत्नी शेराराम जाति मेघवाल साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
2. अरविन्द पुत्र शेराराम जाति मेघवाल साकिन सोनड़ी तहसील नोहर नाबालिग जरिये वली माता रितूबाला पत्नी शेराराम जाति मेघवाल साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. रामकुमार बागड़िया प्रो. शिव गोरख ईट भट्टा गोरखाना व बालाजी ईंट भट्टा नोहर निवासी नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 1/2022 अनवान अमनदीप आदि बनाम शेराराम आदि

उपस्थितिः—

श्री हवासिंह पूनिया, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 3

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 23.02.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 212 (1) बी का प्रार्थना—पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि रोही सोनड़ी के खाता संख्या 580/557 की कुल 9.9550 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे एवं गैर सायल नं. 1 ने जीसीबी की सहायक से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अवैध खुदाई चालू करदी है इसलिए नाबालिग के हितों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कुर्क किया जावे जिस पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2022 के द्वारा कुल 5.187 है0 भूमि को कुर्क कर तहसीलदार नोहर को रिसिवर नियुक्त कर दिया गया एवं कब्जा लेने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना किसी सूचना के बिना कोई नोटिस दिये एक तरफा पारी किया है। पारित निर्णय से अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है एवं प्रभावित पक्षकार को सूचना एवं नोटिस दिया जाकर सुनवाई का विधिवत रूप से अवसर दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मातहत अदालत ने एकपक्षीय बिना किसी सूचना के विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। प्रश्नतगत भूमि मुस्तरका खाता की है एवं मुस्तरका कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिए मुस्तरका खाता के सभी कास्तकारों को बिना सुनवाई का अवसर दिये इस प्रकार का निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अपीलाण्ट का उद्देश्य विवादित भूमि में से मिट्टी खुदाई कर भूमि को खराब करना नही है जबकि खुदाई कर उबड खाबड़ जमीन को समतलीकरण करना है। जिससे भूमि समतल होगी एवं उपजाउ होगी। अधीनस्थ न्यायलाय ने वास्तविक तथ्यों पर गौर नहीं किया है। एकपक्षीय निर्णय होने के कारण अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 126, आरआरडी 1993 पेज 513, आरआरडी 2002 पेज 629, आरआरटी 2010 (1) पेज 109, आरआरडी 2014 पेज 345 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाट के नाम से दर्ज है एवं जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का हक हिस्सा है। अपीलाण्ट वाद भूमि में जेसीबी की सहायता से अवैध तौर से खुदाई चालू कर दी है इसलिए नाबालिग के हितों की सुरक्षा के लिए वाद भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा कुर्क करने के आदेश दिये हैं। रेस्पोडेण्ट के कथनों की पुष्टि तहसीलदार नोहर की मोका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2022 से होती है, जिमसें अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की जाना बताया है। विचारण न्यायालय आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है, जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 आरआरटी पेज 300, 2015 आरआरटी पेज 383 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रोही प्रश्नगत भूमि को कुर्क कर तहसीलदार नोहर को रिसिवर नियुक्त किया गया है एवं कब्जा लेने का आदेश पारित किया है। विवादित भूमि मुस्तरका खाता की है एवं मुस्तरका कब्जा काश्त में चली आ रही है। इसलिए मुस्तरका खाता के कास्ताकरों को बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट जो कि मुस्तकरा खातेदार है, को बिना किसी सूचना के बिना कोई नोटिस दिये एकतरफा पारित कर भूमि पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया है। इसस प्रकार का कठोर आदेश बिना विधिवत सुनवाई किये पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner